न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00147

1. भंवर लाल आत्मज रामसहाय जाति गुसाई निवासी रेठोदा हाल बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. अनोख पुत्री रामसहाय जाति गुसाई निवासी रेठोदा हाल निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक । कायममुकाम मृतक रामसहाय आत्मज धन्ना ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरपुरी आत्मल लालपुरी जाति गुसाई निवासी बंसोली तहसील नैनवा (मृतक) जरिये कायममुकाम :– (नाम तर्क)
   - 1/1. लादो पत्नी शंकरपुरी आयु 75 वर्ष निवासी बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 1/2. कमलेश पुत्र शंकरपुरी आयु 55 साल जाति गुंसाई निवासी बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
   - 1/3. पुरूषोत्तम आत्मज शंकरपुरी आयु 50 साल जाति गुंसाई निवासी बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 1/4. कान्ता पुत्री शंकरपुरी पत्नी राजूलाल जाति गुंसाई निवासी ठीकरिया कलां तहसील दुनी जिला टोंक ।
   - 1/5. मनोहरी पुत्री शंकरपुरी जाति गुंसाई पत्नी विनोद निवासी भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
   - 1/6. निरमा पुत्री शंकरपुरी निवासी कलवाडा तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर ।
2. समुद्रा पुत्री लालपुरी जाति गुंसाई निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवा ।
3. शंकरी बाई पुत्री लालपुरी जाति गुंसाई निवासी पागडी तहसील उनियारा ।
4. संतरा पुत्री लालपुरी जाति गुंसाई निवासी मरडया तहसील नैनवा कायममुकाम केसर बेवा लालपुरी ।
5. बादाम पुत्री सूरजमल जाति गुंसाई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा ।
   - 5/1. रमेश आत्मज सूरजमल जाति गुंसाई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा
   - 5/2. प्रसन्न पुत्री सूरजमल जाति गुंसाई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा।
6. कैलाश आत्मज गोपीलाल जाति गुंसाई निवासी जरखोदा तहसील नैनवा ।
7. लादू आत्मज नारायण जाति गुंसाई निवासी मरडया तहसील नैनवा ।
8. सीता पुत्री नारायण जाति गुंसाई निवासी जजावर तहसील नैनवा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राकेश ठाकौर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट (मृतक) शंकरुपरी एवं केसर बेवा लालपुरी ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी कम 01 के पति व वादी कम 02 के पिता लालपुरी को ग्राम बणसौली में खसरा नम्बर पुराने 476 में 15 बीघा भूमि दिनांक 12.04.1961 को आवंटन हुई थी । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 638, 639, 640, 657, 658 661, 660 एवं 659 कायम किये गये । लालपुरी जी वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने से उनकी मृत्यु होने के बाद वादीगण जो कि उनके उत्तराधिकारी हैं उक्त भूमि के खातेदार काबिज काश्त हैं । सेटलमेंट विभाग द्वारा अवैधानिक तरीके से प्रतिवादीगण का नाम भी अंकित कर दिया जो निरस्त योग्य है । वादीगण के पति/पिता खसरा नम्बर 477 की रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है । उनकी मृत्यु के बाद खसरा नम्बर 476 में खसरा नम्बर 477 पर भी वादीगण निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं । इस भूमि के नये खसरा नम्बर 661 रकबा 02 बीघा एवं खसरा नम्बर 660 रकबा 03 बीघा हैं इनका भी वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 476 एवं 477 की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 2 व 4 में वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें और उक्त भूमि को स्थानान्तरित नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 ने इकबाली जवाबदावा पेश किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 के द्वारा वाद वादीगण डिक्री कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता रामसहाय का कब्जा अपने बंटवारे के अनुसार था क्योंकि अपीलान्ट के पिता तीन भाई थे जिनमें सबसे बडे औंकारपुरी थे जिनके कोई वारिस नहीं था । लालपुरी जी के शंकरपुरी एंव केसर उनके वारिस थे एवं रामसहाय

उस समय स्वयं मौजूद थे इसलिए नियमानुसार 1/3 हिस्सा अपीलान्ट का बनता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते में जा चुकी है । इस बात की जानकारी अपीलान्ट को डेढ दो माह पूर्व उस समय हुई जब अपीलान्ट के शांतिपूर्वक कब्जे में रेस्पोडेन्ट ने बाधा उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया । जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 12.08.2013 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 19.08.2013 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 शंकरपुरी एवं केसर बेवा लालपुरी ने एक वाद परीक्षण न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि वादी कम 01 के पति व 02 के पिता लालपुरी को ग्राम बंसोली की आराजी खसरा नम्बर पुराने 476 में 15 बीघा भूमि दिनांक 12.04.1961 को आवंटित हुई थी । अपीलान्ट के पिता रामसहाय साधु हो गये थे तथा अपीलान्ट बच्चे थे इसलिए उनकी कोई तामील भी नहीं करवायी और उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब पेश कर दिया । अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 05.12.2009 को हो चुकी है । अपीलान्ट के पिता तीन भाई थे जिनमें सबसे बडे औंकारपुरी थे जिनके कोई वारिस नहीं था । लालपुरी जी के शंकरपुरी एवं केसर उनके वारिस थे एवं रामसहाय उस समय स्वयं मौजूद थे इसलिए नियमानुसार भी वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा बनता है । वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में अपीलान्टगण काबिज काश्त हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी कम 01 को प्रोपर व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 02.01.1992 को तामील करवाये थे परन्तु वे परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अपीलान्ट ने उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 के विरूद्ध दिनांक 17.10.2013 को पेश की है जो लगभग 21 वर्ष के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये हैं जबकि नियमानुसार प्रतिदिन के विलम्ब के कारण स्पष्ट दर्शित करने चाहिए थे । उक्त अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । वादग्रस्त आराजी लालपुरी को आवंटित हुई थी । अपीलान्ट के पिता रामसहाय जी की मृत्यु सन् 2009 में हुई थी उन्होंने अपने जीवन काल में उक्त भूमि में सम्बन्ध में किसी

प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट के पिता रामसहाय जो व्यक्तिगत तामील होने के बावजूद भी वे परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट के पिता रामसहाय जी द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2022 (1) (एससी) पेज 346, डीएनजे 2017 (3) (राज0) पेज 1054, डीएनजे 2016 (4) पेज 1729, डीएनजे 2021 (2) पेज 455, डीएनजे 2016 (1) पेज 201 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । वादी रेस्पोडेन्ट (मृतक) शंकरुपरी एवं केसर बेवा लालपुरी ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस तामील करवाये । प्रतिवादीगण कम 2, 3 व 4 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया । प्रतिवादी कम 01 रामसहाय जी परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अपील में अपीलान्ट द्वारा अपने पिता रामसहाय जी की मृत्यु सन् 2009 में होना बताया है । रामसहाय जी द्वारा सन् 2009 तक वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय में उनके विरूद्ध हुई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा रामसहाय जी को व्यक्तिगत तामील करवायी है इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होता कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । रामसहाय जी को परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन वाद की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत नोटिस तामील हुए हैं । पत्रावली में विवादित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में साक्ष्य स्वरूप तहसीलदार नैनवा द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.04.1961 प्रदर्श–2 संलग्न है । उक्त पत्र आवंटी लालपुरी को जारी सूचना पत्र है जिसे तहसील की मोहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया है ।

12. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 के विरूद्ध सन् 2013 में पेश की जो लगभग 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो गंभीर अवधि बाधित है । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में विलम्ब के जो कारण बताये हैं वे संतोषप्रद नहीं हैं । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी डेढ दो महिने पहले ही होना कथन किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है । परीक्षण न्यायालय में उनके पिता को विधिवत व्यक्तिगण रूप से नोटिस तामील हुए हैं । तामीलशुदा नोटिस परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं । अपीलान्ट के पिता को नोटिस तामील होने के उपरान्त अपने जीवनकाल में उनके द्वारा सन् 2009 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया कि निर्णय सन् 1992 के समय वे नाबालिग थे परन्तु उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उनका यह तर्क मान्य हो । अपीलान्ट ने विलम्ब के कारण स्पष्ट एवं संतोषप्रद दर्शित नहीं

किये हैं जबकि विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु विलम्ब के प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट संतोषप्रद कारण दर्शित करने होते हैं । अपीलान्ट ने उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 के विरूद्ध दिनांक 17.10.2013 को पेश की है जो लगभग 20 वर्ष 06 माह के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । उपर्युक्त स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है । विलम्ब के शमन हेतु अपीलान्ट पर्याप्त कारण बताने में असफल रहे हैं । चूँकि अपील अवधि बाधित होने से स्वीकार योगय नहीं है । अतः इसका गुणावगुण के आधार पर विवेचन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2013/00147

1. भंवर लाल आत्मज रामसहाय जाति गुसाई निवासी रेठोदा हाल बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. अनोख पुत्री रामसहाय जाति गुसाई निवासी रेठोदा हाल निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक । कायममुकाम मृतक रामसहाय आत्मज धन्ना ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. शंकरपुरी आत्मल लालपुरी जाति गुसाई निवासी बंसोली तहसील नैनवा (मृतक) जरिये कायममुकाम :– (नाम तर्क)
   - 1/1. लादो पत्नी शंकरपुरी आयु 75 वर्ष निवासी बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 1/2. कमलेश पुत्र शंकरपुरी आयु 55 साल जाति गुंसाई निवासी बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
   - 1/3. पुरूषोत्तम आत्मज शंकरपुरी आयु 50 साल जाति गुंसाई निवासी बंसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 1/4. कान्ता पुत्री शंकरपुरी पत्नी राजूलाल जाति गुंसाई निवासी ठीकरिया कलां तहसील दुनी जिला टोंक ।
   - 1/5. मनोहरी पुत्री शंकरपुरी जाति गुंसाई पत्नी विनोद निवासी भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
   - 1/6. निरमा पुत्री शंकरपुरी निवासी कलवाडा तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर ।
2. समुद्रा पुत्री लालपुरी जाति गुंसाई निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवा ।
3. शंकरी बाई पुत्री लालपुरी जाति गुंसाई निवासी पागडी तहसील उनियारा ।
4. संतरा पुत्री लालपुरी जाति गुंसाई निवासी मरडया तहसील नैनवा कायममुकाम केसर बेवा लालपुरी ।
5. बादाम पुत्री सूरजमल जाति गुंसाई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा ।

5/1. रमेश आत्मज सूरजमल जाति गुंसाई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा
5/2. प्रसन्न पुत्री सूरजमल जाति गुंसाई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा।
6. कैलाश आत्मज गोपीलाल जाति गुंसाई निवासी जरखोदा तहसील नैनवा ।
7. लादू आत्मज नारायण जाति गुंसाई निवासी मरडया तहसील नैनवा ।
8. सीता पुत्री नारायण जाति गुंसाई निवासी जजावर तहसील नैनवा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 92/दावा/1991

1. केसर बेवा लालपुरी जाति गुसाई निवासी बणसौली तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. शंकरपुरी आत्मज लालपुरी जाति गुसाई निवासी बणसौली तहसील नैनवा जिला बून्दी।

——वादी

बनाम

1. रामसहाय आत्मज धन्ना जाति गुसाई निवासी राठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. दाखां बेवा औंकारपुरी जाति गुसाई निवासी बणसौली तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. दाखां पुत्री औंकारपुरी जाति गुसाई पत्नी सूरजमल निवासी बणसौली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भंवरी पुत्री औंकारपुरी जाति गुसाई पत्नी रामनारायण जाति गुसाई निवासी मुरडया पंचायत मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.06.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री राकेश ठाकौर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.1993 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा